2025:CGHC:20928–DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 830/2018

[प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजनांदगाँव, जिला राजनांदगाँव, छत्तीसगढ़ के न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश, डोंगरगढ़ द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 18/2016 में दिनांक 30.01.2018 को पारित निर्णय से प्रोद्भूत]

- मुकेश जंघेल (लोधी) पिता महेश लोधी, आयु लगभग 26 वर्ष वर्ष, निवासी ग्राम लेडीजोब, थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगाँव, छत्तीसगढ़

... अपीलार्थी

विरुद्ध

- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः जिला मजिस्ट्रेट राजनांदगाँव, जिला राजनांदगाँव, छत्तीसगढ़

...प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से :– श्री आकाश पाण्डेय एवं श्री तन्मय थॉमस, अधिवक्तागण

प्रत्यर्थी–राज्य की ओर से :– श्री पंकज सिंह, पैनल अधिवक्ता

खण्डपीठ

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी

बोर्ड पर निर्णय

(07.05.2025)

न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल,

1. अपीलार्थी द्वारा धारा 374(2) के अधीन प्रस्तुत वर्तमान दाण्डिक अपील में, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजनांदगाँव, जिला राजनांदगाँव, छत्तीसगढ़ के न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश, डोंगरगढ़ द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 18/2016 में पारित दिनांक 30.01.2018 को निर्णय की वैधता, विधिमान्यता एवं औचित्यता को प्रश्नगत किया गया है, जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध कारित करने हेतु दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कठोर कारावास

तथा 5,000/– रुपये के अर्थदण्ड,अर्थदण्ड राशि के संदाय के व्यतिक्रम पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

2. वर्तमान प्रकरण में, पहले अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 15.07.2016 को धारा 306 के अधीन अपराध कारित करने हेतु आरोप विरचित किया गया था एवं तत्पश्चात भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध कारित करने हेतु दिनांक 06.09.2017 को अनुकल्पतः आरोप विरचित किया गया।

<u>अभियोजन की कहानी:–</u>

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यात्मक सार यह हैं कि दिनांक 14.03.2016 से 16.03.2016 को प्रातः लगभग 7:30 बजे तक, ग्राम कुम्हड़ा टोला, थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ स्थित बांध के पास, अपीलार्थी ने कुमारी रोशनी लहरे से विवाह करने से इंकार करते हुए आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया, जिससे उसने आत्महत्या कर ली और डूबकर उसकी मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अभियोजन का प्रकरण यह भी है कि अपीलार्थी का मृतका कुमारी रोशनी लहरे के साथ प्रेम संबंध था और उसने उससे विवाह करने का वादा किया था, परंतु दिनांक 14.03.2016 को अपीलार्थी ने उससे विवाह करने से इंकार कर दिया और इस प्रकार अपीलार्थी ने पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध है। यद्यपि, अपीलार्थी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का अनुकल्पतः आरोप विरचित किया गया है और अंततः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है। जयसिंह कोसा (अ.सा.–9), ग्राम कोटवार ने दिनांक 16.03.2016 को पुलिस को मृतका के शव के बारे में सूचना दी थी, जिसके अनुसार मर्ग सूचना प्र.पी/6 द्वारा दर्ज की गई। मृतका के शव की पहचान मृतका के पिता राजाराम लहरे (अ.सा.–12) ने प्र.पी/1 द्वारा की थी। मर्ग के आधार पर, प्र.पी./13 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। नजरी नक्शा और अपराध विवरण प्रपत्र क्रमशः प्र.पी./5 और पी./15 द्वारा तैयार किया गया। मृत्यु समीक्षा कार्यवाही (प्र.पी./11) की गई और मृतक के शव को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. नरेंद्र गोलान (अ.सा.–12) द्वारा प्रमाणित शवपरीक्षण प्रतिवेदन (प्र.पी./9) के अनुसार, मृत्यु का कारण डूबने से दम घुटना था। रासायनिक विश्लेषण डायटम परीक्षण (प्र.पी./21) (न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट) में वस्तु अर्थात् अस्थि तथा जल सकारात्मक पाया गया। अन्वेषण प्रारंभ हुआ तथा अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया।

5. उचित अन्वेषण के उपरांत, अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध कारित करने के लिए अभियोग–पत्र दिया गया एवं विचारण न्यायालय ने भी दिनांक 15.07.2016 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया। यद्यपि, अभियोजन द्वारा दिनांक 08.08.2017 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अनुकल्पिक आरोप भी दिनांक 06.09.2017 को विरचित किया गया और अंततः विचारण न्यायालय ने उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है।

6. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत विरचित अनुकल्पिक आरोप के फलस्वरूप, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 217 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अ.सा.–9 जयसिंह कोसा, ग्राम कोटवार, एवं अ.सा.–11 भूपेन्द्र कुमार चौबे, आरक्षक को छोड़कर सभी साक्षियों को पुनःआहूत किया गया एवं तत्पश्चात, अपराध को साबित करने हेतु अभियोजन ने 13 साक्षियों का परीक्षण कराया, 21 दस्तावेज एवं 2 वस्तुएँ प्रस्तुत किए, जबकि बचाव पक्ष ने अपने प्रकरण के समर्थन में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया, बल्कि 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए। अपीलार्थी/अभियुक्त का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य में अपने विरुद्ध प्रतीत परिस्थितियों से अस्वीकार किया, तथा स्वयं को निर्दोष बताया तथा झूठे आरोप में फँसाए जाने का अभिवाक किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना करने के उपरांत अपीलार्थी/अभियुक्त को निर्णय के प्रारम्भिक पैराग्राफ में वर्णित अपराध हेतु दोषसिद्ध किया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आदेश को प्रश्नगत करते हुए यह अपील प्रस्तुत की गई है।

<u>पक्षकारों का तर्क:–</u>

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आकाश पाण्डेय और श्री तन्मय थॉमस का तर्क है कि अभियोजन अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं रहा है। उनका यह भी तर्क है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अनुकल्पिक आरोप विरचित करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध हेतु पहले ही आरोप अपीलार्थी के विरुद्ध विरचित किया जा चुका है, जो पूर्णतः अस्वीकार्य है क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 व 306 के अधीन अपराध एक दूसरे के

बिल्कुल विपरीत हैं और दोनों धाराओं के घटक भिन्न–भिन्न हैं जिससे अपीलार्थी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इसलिए अपीलार्थी दोषमुक्ति का पात्र है। उनका आगे तर्क है कि मृतका कुमारी रोशनी लहरे की मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी को साबित नहीं किया जा सका, जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित करने के लिए *अपरिहार्य* है और अन्यथा भी, अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत स्थापित नहीं हुआ है और साथ ही अपीलार्थी और मृतका के अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत के समर्थन में अभियोजन द्वारा अभिलेख पर कोई संपुष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को खारिज किया जाए और वह दोषमुक्ति का पात्र है।

9. विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री पंकज सिंह ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क किया कि अभियोजन ने अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है। उनका यह भी तर्क है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए उचित रुप से दोषसिद्ध किया है क्योंकि दिनांक 06.09.2017 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित करने के उपरांत औपचारिक साक्षी अ.सा.–9 जयसिंह कोसा और अ.सा.–11 भूपेंद्र कुमार चौबे को छोड़कर सभी साक्षियों का पुनः परीक्षण कराया गया था, अतः अनुकल्पिक आरोप विरचित करने में अपीलार्थी को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ है एवं तदनुसार, अपीलार्थी दोषमुक्ति का पात्र नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना, उनके द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया और अभिलेखों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया।

<u>विमर्श एवं विश्लेषण</u>:–

11. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 15.07.2016 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध कारित करने हेतु आरोप विरचित किया तथा इसके अनुकल्पतः अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 06.09.2017 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए भी आरोप विरचित किया गया तथा अंततः अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया।

12. अब, प्रथम अवधारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या विचारण न्यायालय ने अनुकल्पिक आरोप उचित रुप से विरचित किया है एवं अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन विरचित आरोप के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है?

13. निस्संदेह और निर्विवाद रूप से, राज्य ने अपीलार्थी के विरुद्ध केवल धारा 306 के अधीन अपराध के लिए अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें आरोप है कि अपीलार्थी ने मृतका कुमारी रोशनी लहरे को विवाह करने से इंकार करके आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया था और इस प्रकार उसने आत्महत्या कर ली और अपीलार्थी धारा 306 के अधीन अपराध कारित करने का दोषी है, जिस पर, विचारण न्यायालय ने दिनांक 15.07.2016 को केवल धारा 306 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित करने की कार्यवाही की है ।तत्पश्चात अभियोजन पक्ष द्वारा दिनांक 08.08.2017 को आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर कि धारा 216 के अधीन भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन विरचित आरोप के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए जाने पर यह विधिक रूप से स्वीकार्य होगा तथा इससे अपीलार्थी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसे विचारण न्यायालय ने दिनांक 06.09.2017 के अपने आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया, जिससे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अनुकल्पतः आरोप विरचित किया जा सका। इसके अतिरिक्त, चूंकि आरोपों में संशोधन किया गया था, अतः धारा 217 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए औपचारिक साक्षी अ.सा.–9 जयसिंह कोसा एवं अ.सा.–11 भूपेन्द्र कुमार चौबे को छोड़कर सभी साक्षियों को पुनः आहूत किया गया तथा उनका पुनः परीक्षण कराया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के अनुसार, किसी भी न्यायालय को निर्णय पारित किए जाने से पूर्व किसी भी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन करने या उसमें परिवर्धन करने की स्वीकृति है। यद्यपि, अतिरिक्त आरोप विरचित किए जाने या अतिरिक्त आरोप में परिवर्तन करने वाले अभियुक्त व्यक्ति के हितों को विचार में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 की उप–धारा (3) व (4) के अधीन कुछ सुरक्षा उपाय भी विशेष रूप से प्रदान किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:–

"216. न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है–

(1) xxx xxx xxx xxx

(2) xxx xxx xxx xxx

(3) यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलाने से अभियुक्त पर अपनी प्रतिरक्षा करने में या अभियोजक पर प्रकरण के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के पश्चात् स्वविवेकानुसार विचारण को ऐसे आगे चला सकता है मानों परिवर्तित या परिवर्धित आरोप ही मूल आरोप है।

(4) यदि परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलाने से इस बात की संभावना है कि अभियुक्त या अभियोजक पर पूर्वोक्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो न्यायालय या तो नए विचारण का निदेश दे सकता है या विचारण को इतनी अवधि के लिए, जितनी आवश्यक हो, स्थगित कर सकता है।

(5) xxx xxx xxx xxx

15. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 की उपधारा (3) व (4) पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने **आर. राचैया विरुद्ध गृह सचिव**[1], बैंगलोर के प्रकरण में विचार किया है, जिसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:–

"10. ..... उपधारा (3) में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि यदि आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन से अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा करने में या अभियोजन पर प्रकरण के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होता है, तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के पश्चात् विचारण को इस प्रकार आगे चलाना होगा मानो उसका परिवर्तित या परिवर्धित आरोप ही मूल आरोप है। स्पष्ट संदेश यह है कि इसे प्रथम बार लगाया गया आरोप माना जाना चाहिए और विचारण उसी चरण से आगे चलाना चाहिए। यह स्थिति संहिता की धारा 216 की उपधारा (4) को पठन से और भी स्पष्ट हो जाता है, जो न्यायालय को ऐसी स्थिति में या तो नए विचारण का निर्देश देने या विचारण को आवश्यक अवधि के लिए स्थगित करने का अधिकार देती है। यदि आरोप पूर्णतः भिन्न और विशिष्ट है, तो नए विचारण पर बल दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 217 में आगे यह प्रावधान है कि जब भी न्यायालय द्वारा विचारण प्रारंभ करने के उपरांत आरोप में परिवर्तन किया जाता है या आरोप परिवर्धित किया जाता है, तो अभियोजक और अभियुक्त को ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के संदर्भ में पहले से ही परिक्षित किसी भी साक्षी को आहूत करने, पुनः आहूत करने या उसका परीक्षण कराने की स्वीकृति होगी। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय को ऐसे साक्षी को भी स्वीकृति देनी होगी जिसे न्यायालय परिवर्तित या अतिरिक्त आरोप के संबंध में महत्वपूर्ण समझता हो। आर. रचैया (पूर्वोक्त) के प्रकरण में तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के समान हैं। उस प्रकरण में अभियुक्त व्यक्तियों पर प्रारंभ में डॉ. शिवकुमार

1 (2016) 12 SCC 172

को आत्महत्या के दुष्प्रेरण हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे और विचारण के अंत में अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने अभिनिर्धारित किया है कि विचारण के अंत में आरोप विरचित करने से अभियोजन के प्रकरण को पूर्णतः भिन्न रूप और आयाम मिलता है और आगे अभिनिर्धारित किया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 व 306 के अधीन आरोप एक साथ स्थिर नहीं रह सकते और निम्नानुसार अवधारित किया गया:–

> **"13.** अब, अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप यह था कि उन्होंने डॉ. शिवकुमार की हत्या की है। इस प्रकार के प्रकरण में, इस तरह के आरोप को परिवर्तन और/या परिवर्धन से अपीलार्थीगण के प्रति प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इस प्रकार के आरोप को मूल आरोप के रूप में माना जाएगा। उक्त प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए, अभियोजन पर यह दायित्व था कि वह साक्षियों को आहूत करें, भारतीय दण्ड संहिता कीधारा 302 के अधीन आरोप के संदर्भ में उनका परीक्षण कराए और अभियुक्त व्यक्तियों को उन साक्षियों का प्रतिपरीक्षण कराने की स्वीकृति प्रदान करे। ऐसा कुछ नहीं किया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केवल एक साक्षी अर्थात् आधिकारिक साक्षी, यानी, देव रेड्डी, पुलिस उपाधीक्षक, का परीक्षण कराया गया और यहां तक कि उनका परीक्षण उसी तारीख अर्थात् 30–9–2006 को काराया गया, जब अनुकल्पिक आरोप विरचित किए गए थे। प्रकरण को अनिवार्य रूप से स्थगित भी नहीं किया गया था। संहिता की धारा 216 की उपधारा (4) के अंतर्गत अपेक्षित है।
>
> **14.** इस प्रकार के प्रकरण में, दिनांक 30–9–2006 को अनुकल्पिक आरोप विरचित होने के साथ, उस तिथि से पहले दर्ज किए गए साक्षियों के साक्ष्य पर भी विचार किया जा सकता है। यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है कि धारा 216 व 217 के प्रावधान अनिवार्य प्रकृति के हैं क्योंकि वे न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं बल्कि एक महत्वपूर्ण अधिकार की गारंटी देते हैं जो अभियुक्त व्यक्तियों को उन्हें पूरा अवसर देकर उचित रूप से अपने प्रतिरक्षा करने के लिए दिया जाता है। इस प्रक्रिया में साक्षियों के प्रतिपरीक्षण इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। किसी भी साक्षी की विश्वसनीयता तभी स्थापित की जा सकती है जब अभियुक्त व्यक्ति द्वारा उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण कराया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इस प्रकरण में, जहां तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप का प्रश्न है, इन साक्षियों से कोई प्रतिपरीक्षण नहीं कराया गया है। अतः, विचारण दूषित साबित होती है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती थी।

16. यद्यपि, दिए गए प्रकरण में, यह संदेहास्पद होगा कि क्या अपीलार्थीगण को अब भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता है क्योंकि हम, प्रथम दृष्टया, पाते हैं कि धारा 302 के अधीन आरोप धारा 306 के अधीन पहले के आरोप के स्थान पर था क्योंकि दोनों आरोप एक साथ स्थिर नहीं रह सकते। [देखें संगाराबोइना श्रीनु विरुद्ध आ.प्र. राज्य (1997) 5 एस.सी.सी. 348)]"

17. **संगाराबोइना श्रीनु विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य**[2] के प्रकरण में, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया, जिसे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया, तत्पश्चात, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में, माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने अभिनिर्धारित किया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 222 के अभिप्रेत में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के संबंध में सामान्य अपराध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि दोनों अपराध अलग–अलग और विभिन्न श्रेणियों के हैं और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है: –

2. यह अपील इस साधारण कारण से सफल होनी चाहिए कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप से अपीलार्थी को दोषमुक्त करने के पश्चात– जो उसके विरुद्ध विरचित एकमात्र आरोप था– उच्च न्यायालय उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया सकता था। यह सत्य है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 222 न्यायालय को किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोषसिद्धि का अधिकार देती है जो उस अपराध की तुलना में सामान्य है जिसके लिए उस पर विचारण चलाया जा रहा है, परंतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के संबंध में सामान्य अपराध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की

2 (1997) 5 SCC 348

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 222 के अभिप्रेत में दोनों अपराध अलग–अलग और भिन्न श्रेणियों के हैं। जबकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का मूल घटक हत्या है, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध आत्महत्या और उसके दुष्प्रेरण हेतु है।

18. इस स्तर पर, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 221 पर विचार करना उचित होगा, जो यह दर्शाता है कि अनुकल्पिक आरोप कब विरचित किया जा सकता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 221 में निम्नानुसार उल्लेखित है:–

221. जहां इस बारे में संदेह है कि कौन–सा अपराध किया गया है–(1) यदि कोई एक कार्य या कार्यों का क्रम इस प्रकार का है कि यह संदेह है कि उन तथ्यों से, जो सिद्ध किए जा सकते हैं, कई अपराधों में से कौन सा अपराध बनेगा तो अभियुक्त पर ऐसे सब अपराध या उनमें से कोई करने का आरोप लगाया जा सकेगा और ऐसे आरोपों में से कितनों ही का एक साथ विचारण किया जा सकेगा ; या उस पर उक्त अपराधों में से किसी एक को करने का अनुकल्पत: आरोप लगाया जा सकेगा।

(2) यदि ऐसे प्रकरण में अभियुक्त पर एक अपराध का आरोप लगाया गया है और साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उसने भिन्न अपराध किया है, जिसके लिए उस पर उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन आरोप लगाया जा सकता था, तो वह उस अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकेगा जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शित है, यद्यपि उसके लिए उस पर आरोप नहीं लगाया गया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 221 में निहित प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पठन से ज्ञात होता है कि संदेह अपराध की प्रकृति के बारे में होना चाहिए न कि तथ्यों के बारे में। यदि किसी प्रकरण में अभियोजन द्वारा साबित किए जा सकने वाले तथ्यों के आधार पर यह संदेह है कि अपराध में से कौन सा तथ्य अपराध का गठन करेगा, तो अनुकल्पिक आरोप विरचित किया जा सकता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 221 ऐसे प्रकरण में लागू नहीं होती है जहां तथ्य संदेह में हों। सामान्यतः, भिन्न–भिन्न अपराधों के संबंध में अनुकल्पिक आरोप विरचित नहीं किया जा सकता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध और धारा 306 के अधीन अपराध भिन्न–भिन्न हैं। दोनों प्रावधानों के घटक पूर्णतः भिन्न हैं। अभियोजन को यह तय करना होगा कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का। अभियोजन यह नहीं कह सकता कि अभियुक्त ने मृतक की हत्या की है और यदि मृतक ने आत्महत्या की है तो अभियुक्त ने आत्महत्या के

लिए दुष्प्रेरित किया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 221 के अधीन इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है क्योंकि जिन तथ्यों को साबित किया जा सकता है उनके बारे में संदेह है और ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 221 लागू नहीं होती। **[देखें:–जितेंद्र कुमार व अन्य विरुद्ध राज्य (दिल्ली प्रशासन) दिल्ली[3] तथा प्रसून गुटा व अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य[4]]**।

20. तदनुसार, उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित विधि के सिद्धांतों तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 221 में निहित प्रावधानों के आलोक में, अनुकल्पतः आरोप विरचित करने का प्रश्न तब उठ सकता है जब साबित किए जा सकने वाले तथ्यों के बारे में कोई संदेह न हो, लेकिन संदेह इस बात पर है कि उन तथ्यों के आधार पर कौन सा अपराध बनेगा। आत्महत्या के लिए दुष्प्ररित करने वाले अभियुक्त के लिए आरोप विरचित करना तथा हत्या के अनुकल्पतः आरोप विरचित करना विधि में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इससे तथ्यों के बारे में संदेह होता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 और 302 के अधीन अपराध एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। दोनों धाराओं के घटक भिन्न–भिन्न हैं तथा अनुकल्पतः आरोप विरचित करने से अभियुक्त व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, जो स्वीकार्य नहीं है। उपर्युक्त विमर्श एवं विश्लेषण के दृष्टिगत, हमारा विचार है कि विचारण न्यायालय द्वारा धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित करने में, धारा 306 के अनुकल्पिक आरोप में, बिल्कुल अनुचित है और इससे अपीलार्थी को गंभीर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है, जिससे धारा 302 के अधीन अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि दूषित हुई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. उपरोक्त निष्कर्ष के अतिरिक्त, हम प्रकरण के गुण–दोष पर भी विचार करेंगे, कि क्या विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए उचित रूप से दोषसिद्ध किया है?

22. डॉ. नरेन्द्र गोलान (अ.सा.–12), जिन्होंने मृतका कुमारी रोशनी लहरे का शवपरीक्षण किया है, ने शवपरीक्षण प्रतिवेदन (प्र.पी/9) में केवल यही कथन किया है कि मृत्यु का कारण डूबने से दम घुटना था तथा यह व्यक्त नहीं किया है कि मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक, आत्महत्या या दुर्घटना थी। यद्यपि, विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा क्रमांक 14 में अभिनिर्धारित किया है कि मृतक की मृत्यु की प्रकृति आत्महत्या या हत्यात्मक होगी, किंतु अंततः अपने निर्णय के पैरा 42 में यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि मृतक कुमारी रोशनी लहरे की मृत्यु केवल इस तथ्य के आधार

3 1990 SCC OnLine Del 468
4 2010 SCC OnLine All 1887

पर हत्यात्मक प्रकृति की थी कि अपीलार्थी और मृतका के मध्य प्रेम प्रसंग था और अपीलार्थी और मृतक को अंतिम बार 14.03.2016 को साथ देखा गया था और मृतक का शव दिनांक 16.03.2016 को मिला था। इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि को आधार बनाने के लिए इस हेतुक का अवलंब लिया है कि अपीलार्थी मृतका से विवाह नहीं करना चाहता था।

अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांतः–

23. विचारण न्यायालय ने हेमिन लहरे (अ.सा.–4), उत्तरा बाई (अ.सा.–6), मुकेश (अ.सा.–7) और धर्मेंद्र कुमार (अ.सा.–10) के कथनों के आधार पर अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत को सिद्ध पाया है। यद्यपि, अपीलार्थी और मृतका कुमारी रोशनी लहरे को दिनांक 14.03.2016 को लगभग 11:30 बजे साथ देखा गया था और मृतका का शव दिनांक 16.03.2016 को लगभग 7:30 बजे मिला था, इस प्रकार, अपीलार्थी और मृतका को अंतिम बार एक साथ देखे जाने और मृतका का शव मिलने में लगभग 44 घंटे का काफी समय अंतराल है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. इस स्तर पर, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के सुसंगत निर्णयों पर विचार करना उचित होगा।

25. **गोवा राज्य विरुद्ध संजय ठाकरान व अन्य**[5] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय के उनके माननीय न्यायाधिपतिगण ने पाया कि मृतक को अभियुक्तों के साथ अंतिम बार जीवित देखे जाने के समय लगभग $8^{1/2}$ घंटे का काफी समय अंतराल था और उनके माननीय न्यायाधिपतिगण ने अभिनिर्धारित किया कि एक साथ देखे गए व्यक्तियों और अपराध के निकटतम समय के मध्य काफी समय अंतराल होने के कारण, अंतिम बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति, यद्यपि साबित हो जाए, अभियुक्त पर दोष को पुख्ता तौर पर नहीं बांध सकती।

26. **नवनीतकृष्णन विरुद्ध राज्य पुलिस निरीक्षक**[6] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि अंतिम बार एक साथ देखे गए साक्ष्य अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत कर सकते हैं, परंतु यह साक्ष्य अकेले अभियुक्त के अपराध को संदेह से परे स्थापित

5 (2007) 3 SCC 755
6 (2018) 16 SCC 161

करने के भार को कम नहीं कर सकता है और इसके लिए संपुष्टि की आवश्यकता है, तथा पैरा 22 में निम्नानुसार अवधारित किया गया है:–

> "22. अ.सा. 11 ने अपनी स्मरण को दोहराते हुए न्यायालय में ही तीनों अभियुक्तों की पहचान कर ली थी, क्योंकि वे लोग उस समय आए थे जब वह जॉन बॉस्को के साथ अपनी कार धो रहा था और उसने उन सभी को अंतिम बार उस दिन ओमनी वैन में बैठे देखा था और इस आशय की उसके साक्ष्य इस तथ्य के दृष्टिगत प्रतिपरीक्षण के दौरान भी यथावत है कि उक्त साक्षी का अपीलार्थीगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शत्रुता नहीं है और वह एक स्वतंत्र साक्षी है। एक बार जब अ.सा. 11 का साक्ष्य स्थापित हो जाता है और पूर्ण विश्वास प्रेरित करता है, तो यह सुस्थापित हो जाता है कि यह अभियुक्त ही थे जिन्हें मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था, विशेषतः उन परिस्थितियों में जब अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि वे अभियुक्त से अलग हुए थे और तब से मृतक की कोई गतिविधि का पता नहीं लगाया जा सका है और उनके शव बाद में बरामद किए गए थे। यह एक स्थापित विधिक स्थिति है कि विधि यह मानता है कि मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया व्यक्ति ही मृतक की हत्या करेगा और इसका खंडन करने का भार अभियुक्त पर है कि वह यह साबित करे कि वे चले गए थे। निस्संदेह, अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत परिस्थितियों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण घटना है जो पूर्णतः साबित हो और/या कुछ निश्चितता के साथ अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित करती हो। यद्यपि, यह एकमात्र साक्ष्य अभियुक्त के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने के भार को कम नहीं कर सकता है और इसके लिए संपुष्टि आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. उपरोक्त निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों के आलोक में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए, हेमिन लहरे (अ.सा.–4), उत्तरा बाई (अ.सा.–6), मुकेश (अ.सा.–7) और धर्मेंद्र कुमार (अ.सा.–10) के कथनों से यह स्पष्ट है कि दिनांक 14.03.2016 को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के मध्य अपीलार्थी और मृतका को अंतिम बार एक साथ देखा गया था, जबकि मृतका का शव 16.03.2016 को लगभग 7:30 बजे प्र.पी/6 (मर्ग सूचना) के अनुसार लगभग 40–43 घंटों के समय अंतराल के साथ बरामद किया गया था, और इसलिए, अपीलार्थी और मृतका को एक साथ देखे जाने और अपराध के अनुमानित समय के मध्य काफी समय अंतराल है एवं इस प्रकार, **गोवा**

राज्य (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत अभियोजन के लिए कोई सहायक नहीं है और अन्यथा भी, केवल अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है, वह भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए, क्योंकि **नवनीतकृष्णन** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में अपीलार्थी की दोषसिद्धि को आधार बनाने के लिए संपुष्टि आवश्यक है।

हेतुकः–

28. जहां तक अपराध के हेतुक का प्रश्न है, यह सुस्थापित है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रकरण में अपराध का हेतुक साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत सुसंगत तथ्य है। वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन ने अपराध का हेतुक प्रस्तुत किया है तथा विचारण न्यायालय ने पाया है कि अपीलार्थी और मृतका दोनों के मध्य प्रेम संबंध थे, यद्यपि अपीलार्थी ने मृतका के साथ विवाह करने से इंकार कर दिया, जो कि प्रश्नगत अपराध करने का हेतुक था, परंतु अभियोजन द्वारा हेतुक बिल्कुल भी स्थापित नहीं किया गया है। तथापि, यदि उक्त तथ्य अपराध के हेतुक के रूप में साबित पाया जाता है, तब भी यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 को आकर्षित नहीं करेगा क्योंकि एकमात्र हेतुक किसी अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि के लिए सम्भवतः ही कोई आधार हो सकता है क्योंकि हम पूर्व ही अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत अभियोजन के लिए कोई उपयोगी नहीं है क्योंकि अपीलार्थी और मृतका को अंतिम बार एक साथ देखे जाने और मृतका का शव मिलने के मध्य काफी समय अंतराल है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. हत्या जैसे गंभीर अपराधों में न्यायालय हमेशा हेतुक की खोज करता है और हेतुक सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरणों में हेतुक अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और यदि ऐसे हेतुक का अभाव होता है तो यह परिस्थिति सदैव अभियुक्त के पक्ष में और अभियोजन के विरुद्ध होती है। हेतुक चाहे कितना भी पर्याप्त क्यों न हो, अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित करने वाले स्पष्ट और ठोस साक्ष्यों के अभाव में दाण्डिक आरोप को यथावत नहीं रखा सकता है तथा किसी अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अभाव में एकमात्र हेतुक को दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है। [देखें: **संपत कुमार विरुद्ध पुलिस निरीक्षक, कृष्णगिरी**[7]]। इस प्रकार, अपीलार्थी संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्ति का पात्र है क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 306 के अधीन अपराधों के लिए दोनों आरोप एक साथ

7 (2012) 4 SCC 124

नहीं रह सकते हैं और यहां तक कि अभियोजन भी मृतका की मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना साबित नहीं कर पाया है तथा अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में भी असफल रहा है।

निष्कर्ष:–

30. उपरोक्त विमर्श एवं विश्लेषण के दृष्टिगत, विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30.01.2018 के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी को संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी को जमानत पर बताया गया है। उसे अभ्यर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क में निहित प्रावधानों के अनुसार उसका जमानत बंधपत्र छह माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।

31. इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि मूल अभिलेख सहित संबंधित विचारण न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, हेतु अविलंब प्रेषित की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/– **(संजय के.अग्रवाल)** न्यायाधीश	सही/– **(दीपक कुमार तिवारी)** न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**